

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

19 MAY 2017

नया रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 1-27/2017/सात-2 :: यह शिकायत आम है कि हल्का पटवारी अपने मुख्यालय में निवास नहीं करते हैं, जिसके कारण किसानों को भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त करने एवं अन्य कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है :-

1. पटवारी अपने हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में प्रत्येक सोमवार एवं मंगलवार को प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
2. यदि पटवारी के पास एक से अधिक पटवारी हल्का का प्रभार हो तो वह अपने मूल पदस्थापना वाले पटवारी हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित रहेंगे।
3. पटवारी ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित रहकर भूमि संबंधी समस्याओं से अवगत होंगे तथा आवेदन प्राप्त करेंगे। जिन आवेदन पत्रों/समस्याओं का निराकरण ग्राम पंचायत भवन से ही संभव है, उन आवेदनों का निराकरण उसी दिन करेंगे। अन्य आवेदनों, जिनका निराकरण पटवारी द्वारा किया जाना है, उनका निराकरण उस सप्ताह के अन्य दिनों में करेंगे तथा जिन आवेदनों का निराकरण तहसील स्तर से होना है, के आवेदन संबंधित तहसीलदार को देंगे। अर्थात् सोमवार एवं मंगलवार को आवेदनों के निराकरण हेतु भी ग्राम पंचायत भवन में उनके बैठने हेतु निर्धारित स्थल को छोड़कर अन्यत्र नहीं जायेंगे।
4. सोमवार एवं मंगलवार के दिन ग्राम पंचायत भवन में उनके समक्ष मौखिक/लिखित रूप से प्राप्त समस्याओं एवं उनके निराकरण को एक रजिस्टर में अंकित करेंगे तथा संबंधित आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर लेंगे।

// 2 //

// 2 //

5. सोमवार एवं मंगलवार को किसी भी अधिकारी/पदाधिकारी द्वारा उन्हें अपने कार्यालय में आहूत नहीं किया जावेगा और न ही उनकी किसी अन्य कार्य में ड्यूटी लगायी जावेगी।
6. किसी अधिकारी के द्वारा आहूत करने या अन्य कार्य में ड्यूटी लगाने के कारण यदि पटवारी अपने हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में नियत दिवसों में उपस्थित नहीं हो सके, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(नीलकंठ टीकाम)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ 1-27 / 2017 / सात-2

दिनांक

प्रतिलिपि:—

नया रायपुर,

19 MAY 2017

1. निज सहायक, राजस्व मंत्री, छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभाग आयुक्त की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पंचायत भवन में पटवारियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अग्रेषित।
5. संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, नया रायपुर की ओर निर्देश का पालन सुनिश्चित करने हेतु अग्रेषित।
6. समस्त कलेक्टर जिला की ओर निर्देश का पालन सुनिश्चित करने हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग